

## उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग-5

संख्या- 98 / वि० अनु०-5 / स्टाम्प / 2003  
देहरादून: दिनांक 19 फरवरी, 2003

### अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1908) की धारा 78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और रजिस्ट्रेशन मैनुअल के भाग-2 (सातवे संस्करण) के परिशिष्ट 5 में दी गयी रजिस्ट्रीकरण सारणी में श्री राज्यपाल अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण फीस की तालिका विहित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

ऐसे लेख पत्र जिन्हें इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेसिंग किया जाना है।

रजिस्ट्रेशन फीस के अतिरिक्त लेख पत्र के प्रत्येक पृष्ठ के लिये दस रुपये किन्तु न्यूनतम पचास रुपये।


(इन्दु कुमार पाण्डे)  
प्रमुख सचिव।

संख्या 98(1) / वित्त अनु०-5 / स्टाम्प / 2003 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तरांचल।
- 3- आयुक्त कर / महानिरीक्षक निबन्धन उत्तरांचल देहरादून।
- 4- महालेखाकार उत्तरांचल, सत्यनिष्ठाभवन थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
- 5- उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना की 200-200 प्रतियाँ हिन्दी एवं अंग्रेजी में उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुये उसकी प्रतियाँ वित्त अनुभाग-5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 6- न्याय / विधायी अनुभाग।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(एल० एम० पन्त)  
अपर सचिव

840  
20-2-23  
विभागाध्यक्ष  
वित्त अनुभाग-5  
उत्तरांचल शासन  
देहरादून

20-2-23  
अपर सचिव